<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस 0 सी0/एस 0 टी0 एक्ट), वाराणसी।</u>

विशेष सत्र परीक्षण सं०-656/2000

राज्य बनाम पालीजीनिया

<u>दिनांक-18.04.2026</u>

पेश हुआ।

प्रस्तुत पत्रावली अत्यंत पुरानी है और यह S.T. no.- 656/2000 राज्य बनाम पालीजीनिया अंतर्गत धारा-323, 504, 307 भा०दं०सं० व 3(1)(X) एस.सी./एस.टी. एक्ट की पत्रावली है तथा इसका क्रास केस राज्य बनाम शारदा प्रसाद S.T. no.- 418/2011 अंतर्गत धारा-323/34 भा०दं०सं० की पत्रावली है। पक्षकारगण द्वारा दोनों पत्रावलियों में माननीय उच्च न्यायालय में समझौतानामा दाखिल किया गया था। जिसके बाबत आज माननीय उच्च न्यायालय प्रार्थनापत्र U/S 528 BNSS नं०-6873/2026 शरद प्रसाद व दो अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांकित-25.02.2026 दाखिल किया गया है। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया गया है कि यह कोर्ट आदेश प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर उभय पक्ष का समझौतानामा को तस्दीक कर वेरीफिकेशन रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें। इस संबंध में अभियुक्त पालीजीनिया उपस्थित है, परन्तु क्रास केस की पत्रावली राज्य बनाम शारदा के अभियुक्तगण जो कि प्रस्तुत पत्रावली में परिवादी है, उपस्थित नहीं है।

अतः दोनों पत्रावलियों के समझौतानामा आज तस्दीक नहीं किया जा सका। अभियुक्त शारदा की तरफ से यह कथन किया गया कि बसंता का स्वास्थ ठीक नहीं है। अतः तिथि चाही गयी, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मात्र चार सप्ताह का समय दिया गया है। अतः सभी पक्षकारों को आदेशित किया जाता है कि वह किसी भी स्थिति में दिनांक-30.04.2026 को न्यायालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें ताकि दोनों पत्रावलियों के समझौतानामा सत्यापन कर सत्यापन रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय भेजा जा सके।

पत्रावली **दिनांक-30.04.2026** को पेश हो। इस आदेश की प्रति दूसरी पत्रावली S.T. no.- 418/2011 में भी लगायी जाये।

दिनांक– 18.04.2026

(सुधाकर राय)
विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/एस०टी०एक्ट),
वाराणसी।